

एफ संख्या 6/19/2024-डीजीटीआर  
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,  
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 05.09.2024

सभी इच्छुक पार्टियां,

**विषय: चीन पीआर से ग्लूफोसिनेट और इसके नमक के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच के संबंध में पीयूसी/पीसीएन पद्धति**

एक. इसमें दीक्षा अधिसूचना संख्या 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 29.06.2024 का संदर्भ है, जिसके माध्यम से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति के दायरे पर सभी इच्छुक पार्टियों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।

दो. कुछ इच्छुक पार्टियों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। प्राधिकरण ने इच्छुक पाटयों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच की है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नलिखित है:

*वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ग्लूफोसिनेट और इसका नमक है। विचाराधीन उत्पाद को ग्लूफोसिनेट अमोनियम (डी, एल-फॉस्फोनोथ्रिसिन या 2- एमिनो -4- (हाइड्रॉक्सी मिथाइल फॉस्फोनील) के रूप में भी जाना जाता है।*

*ग्लूफोसिनेट मामूली तीखी गंध के साथ हल्के पीले क्रिस्टलीय ठोस के लिए सफेद होता है और अत्यधिक घुलनशील और अस्थिर सामग्री है। ग्लूफोसिनेट का कारोबार दो रूपों*

में किया जाता है यानी तकनीकी और सूत्रीकरण और दोनों उत्पाद के दायरे का हिस्सा हैं। ग्लूफोसिनेट तकनीकी की पूरी खपत ग्लूफोसिनेट फॉर्मूलेशन के उत्पादन में है। ग्लूफोसिनेट तकनीकी का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है और इसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना है। तकनीकी से सूत्रीकरण तक की प्रक्रिया एकल चरण की प्रक्रिया है। वाणिज्यिक कारणों से फार्मूलेशन रूप में ग्लूफोसिनेट का आयात नहीं किया जाता है क्योंकि इसका प्रमुख संकेन्द्रण जल और उच्च पोट परिवहन लागत का होता है।

विचाराधीन उत्पाद का सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत समपत वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, उत्पाद 38089190, 38089390 और 38089990 के तहत आयात किया जाता है। कस्टम वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

तीन. इसके अलावा, प्राधिकरण निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अपनाता है:

क्र.सं.	पीसीएन पैरामीटर	PCN कोड
1	ग्लूफोसिनेट तकनीकी	"जीटी"
2	ग्लूफोसिनेट फॉर्मूलेशन	"जीएफ"

चार. उपरोक्त के मद्देनजर, सभी इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त पीसीएन पद्धति के अनुसार प्रश्नावली का जवाब दाखिल करें । प्रश्नावली प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

एसडी/-

राजीव कुमार सोनी

निदेशक (एफटी)

ईमेल: [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in)